संख्याः— /XXIV(6)/2017-12(4)/12

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनॉक, 18 सितम्बर, 2017

विषयः– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में मानक मद संख्या–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–केयू/बजट/अन्य मद/995, दिनांक 28.08.2017 के सन्दर्भ में एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में मानक मद–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद में शासनादेश संख्या–614/XXIV (6)/2017–12(4)/12 दिनांक 18 जुलाई, 2017 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 400.00 लाख के सापेक्ष **द्वितीय किस्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रुपये दो करोड़ मात्र)** की धनराशि संलग्न विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या–H1709111085– के अनुसार अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) धनराशि आहरण व व्यय करने में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का बिल मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(4) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य निर्देशों/आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की

स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण/व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाएगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिये जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालयों को सहायता, 03–कुमाऊं विश्वविद्यालय के मानक मद–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

संख्याः–891 (1)/XXIV(6)/2017–12(4)/12, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त नियंत्रक, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।